उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग
(प्रशासन प्रभाग)

संख्या–315 / सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.) 22 / 2010
देहरादून दिनांक 12 मार्च, 2011

कार्यालय –आदेश

शासन के पत्र संख्या 59 / XXII / 2011–55(10),दिनांक 07 फरवरी, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 204 / सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.) 22 / 2010 दिनांक 14 फरवरी, 2011 के द्वारा विभाग के फोटो / फिल्म शाखा में कार्यरत फोटोग्राफर / कैमरामैन के पदधारको की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुऐ आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी, जिसके विरूद्व श्री केवल सिंह, कैमरामैन ने आपत्ति की है कि वह मा. उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच के निर्णय से आच्छादित नहीं होते है क्योंकि याचिका श्री पूरन चन्द्र तिवारी, श्री श्याम बाबू, श्री जगदीश चन्द जोशी और प्रभुनाथ बनाम कुंवर लाल तथा निदेशक सूचना एवं सचिव सूचना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। श्री सिंह ने अपने प्रत्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक पद पर नियुक्ति से किया जाता न कि पदोन्नत पद से तथा मेरी नियुक्ति ब्रोमाइड प्रिन्टर के पद पर दिनांक 26.121989 को हुई, जबकि श्री जगदीश चन्द्र जोशी की मूल नियुक्ति लैब ब्वाय के पद पर हुई जिस कारण मैं श्री जोशी से ज्येष्ठ हूँ। उनके द्वारा ज्येष्ठता सूची को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

2. विभागीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 298 / सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.) 22 / 2010 दिनांक 10 मई, 2010 के द्वारा आमंत्रित आपत्तियों के संबंध में श्री केवल सिंह,कैमरामैन द्वारा आपत्ति की गयी है कि श्री जगदीश चन्द्र जोशी को दिनांक14.7.1987 से ब्रोमाइड प्रिन्टर के पद पर नियुक्त दर्शाया गया है, जबकि श्री जगदीश चन्द्र जोशी की नियुक्ति दिनांक 14.7.1987 को स्थानापन्न रूप से की गई थी, तथा उनकी ब्रोमाइड प्रिन्टर के पद पर मौलिक नियुक्ति दिनांक 26.12.1989 को है। श्री केवल सिंह ने यह भी अवगत कराया कि ब्रोमाइड प्रिन्टर के पद पर लगभग 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग (प्रशासन प्रभाग) के विभागीय आदेश संख्या–1530 / सू.एवं0ज0स0वि(प्रशा.)–23 / 94, दिनांक 26 फरवरी, 1997 के माध्यम से कनिष्ठ न्यूजरील कैमरामैन के पदों पर समायोजन किया गया जिसके अनुपालन मे दिनांक 27.2.1997 को कनिष्ठ न्यूजरील कैमरामैन पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। जबकि श्री जगदीश चन्द्र जोशी द्वारा कनिष्ठ न्यूजरील कैमरामैन के पद पर 10.4.1997 कार्यभार ग्रहण किया।

3.उल्लेखनीय है कि श्री जगदीश चन्द्र जोशी की 14 जुलाई, 1987 को की गई स्थानापन्न नियुक्ति/प्रोन्नति का लाभ ज्येष्ठता के लिए नही दिया गया था। जिसके विरूद्ध श्री जोशी द्वारा मा0उच्च न्यायाल लखनऊ में रिट याचिका संख्या 429/एस0 एस0/99, श्री पूरन चन्द्र तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार तथा रिट याचिका संख्या–4854/एस0एस0/97, श्री कुंवर लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की गई। मा. उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच द्वारा दिनांक 28.07.2008 को संयुक्त रूप से पारित आदेश में कार्यालय आदेश संख्या 3350/सू0 एवं ज0सं0 वि0 (क्षे0 प्र0)– 242/86, दिनांक 14 जुलाई, 1987 को श्री जगदीश चन्द्र जोशी की ,ब्रोमाईड प्रिन्टर के पद पर तदर्थ रूप से की गयी पदोन्नति को नियमित नियुक्ति माना है। जबकि श्री केवल सिंह की ब्रोमाइट प्रिंटर के पद पर नियुक्ति तिथि 26.12.1989 है। इस प्रकार मा. उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच के उक्त आदेशों के अनुक्रम में श्री जगदीश चन्द्र जोशी को ज्येष्ठता सूची में श्री केवल सिंह से ऊपर दर्शाया गया है।

अतः श्री केवल सिंह का प्रत्यावेदन मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच के संदर्भित आदेशों के आलोक में अपोषणीय तथा बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए विभाग में कार्यरत फोटोग्राफरों/कैमरामैन के पदधारको की ज्येष्ठता को निम्नानुसार अन्तिम रूप दिया जाता हैः–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदनाम	जन्मतिथि	ब्रोमाइड प्रिन्टर के पद पर नियुक्ति तिथि	कनिष्ठ कैमरामैन के पद पर नियुक्ति/समायोजन की तिथि
1	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	फोटोग्राफर	18.11.1958	14.7.1987	26.2.1997 (10.4.1997 कार्यभार ग्रहण)
2	श्री केवल सिंह	कैमरामैन	15.6.1963	26.12.1989	26.2.1997 (27.2.1997 कार्यभार ग्रहण)
3	श्री शेखर चन्द्र जोशी	फोटोग्राफर	1.2.1969	—	11.6.2001

(सुबर्द्धन)
महानिदेशक

संख्याः– 315 (1)/सू0एवं लो0स0वि0(प्रशा.) 22/2010 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित कर्मचारियों को।
2. संबंधित कर्मचारियों की निजी पत्रावली हेतु।

o/c

(डा. अनिल चन्दोला)
संयुक्त निदेशक